म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क्र/मंडी/प्रांगण/विविध/01/पार्ट–2/489 भोपाल,दि. 31/5/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
............................जिला..........................(समस्त)

विषय :– प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण की भूमि का राजस्व अभिलेख में नामांतरण करने बाबत।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/01/पार्ट–2/146–47 दिनांक 13.2.2019 एवं पत्र क्रमांक 472 दिनांक 28.5.2019

–000–

प्रदेश की जिन कृषि उपज मण्डी समितियों/उपमण्डी प्रांगण की भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेख में नही हुआ है, उनका नामातंरण मण्डी के नाम पर किये जाने हेतु संदर्भित पत्रों से निर्देशित किया गया है, किन्तु माह मई 2019 की स्थिति में प्रदेश में 89 मण्डी/उपमण्डी प्रांगण की भूमि का नामांतरण मण्डी के नाम पर होना नही पाया गया है।

अतः शेष बची हुयी कृषि उपज मण्डी समितियों/उपमण्डियों के प्रांगण की भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेख में मण्डी के नाम पर किये जाने हेतु दिनांक 30.6.2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर नामांतरण की नियत अवधि तक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। माह जुलाई की उपसंचालक मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जावेगी। समुचित कार्यवाही नही किये जाने पर आपके विरूद्व नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/मंडी/प्रांगण/46/45/कार्य योजना/बिन्दु–24/490 भोपाल,दि. 31/5/19

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय...................... (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग के अंतर्गत राजस्व अभिलेख में नामांतरण हेतु शेष मण्डियों के सचिवों को निर्देशित कर नियत अवधि के पूर्व नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण कराकर माह जुलाई–2019 की उपसंचालक मासिक बैठक में समीक्षा हेतु उपलब्ध करावें।

प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल